संख्य -54/2589/52-3-2014-बजट(01)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त
□0प्र0□
2-समस्त जिलाधिकारी,
□0प्र0□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20नवम्बर, 2014

विषयः-प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक हब की स्थापना के संबंध में।

□□□□,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लि□, सिक्ख, □□□□, बौद्ध, □□□□ □□□□□) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में इण्टरमीडिएट स्तर की स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराये जाने, शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करने उन्हें रोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और विकास की दौड़ में उन्हें समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षणिक हब की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

□□ □□□□ □□ □□□ "अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना" (Educational Participation and Development scheme for Minorities) □□□□

2- शैक्षणिक हब की स्थापना का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा प्रदान करते हुये रोजगार प्राप्त करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसे शिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे, जहा कक्ष -1 □□12 तक की शिक्षा के □□-साथ कौशल सुधार से संबंधित शिक्षा, कोचिंग एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराने से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप भी संचालित हो। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें शासकीय स्वरूप एवं नियंत्रण में रहते हुये कराया जाना है।

3- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में स्थापित होने वाले हब में छात्र/छात्राओं के लिये दो शासकीय मॉडल कालेज अलग-□□□ □□□□ जायेंगे और अन्य आवश्यक सुविधायें विकसित की जायेगीं। उक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विद्यालय को विकसित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग की सेवित/असेवित योजना की भाँति एक निश्चित धनराशि पूंजीगत पक्ष में भवन निर्माण हेतु अनावर्तक अनुदान के रूप में दो किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोग एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त दूसरी किश्त निर्गत की □□□□□

4- □□□□ □□क्रियान्वयन हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(1) योजना हेतु जनपदों के चयन

(1) शैक्षणिक हब के अन्तर्गत माडल इण्टर कालेज की स्थापना उन जनपदों में की जायेगी जहां अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम है। इसके लिये जनगणना के अद्यावधिक आकड़ों के आधार पर उपलब्ध विवरणों से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों को चिन्हित कर अवरोही (डिसेण्डिंग) क्रम में जनपदों की सूची तैयार की जायेगी। यह सूची शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जायेगी और संबंधित जनपदों को भेजी □□□□□

(2) प्रथम चरण में ऐसे 20 जनपदों को चिन्हित करके उनमें दो शासकीय मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी।

(3) प्रथम चरण में स्थापित होने वाले शासकीय मॉडल इण्टर कालेज में से एक-एक मॉडल इण्टर कालेज पश्चिमांचल, मध्यांचल व पूर्वांचल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलें में किया जायेगा। इन मॉडल इण्टर कालेजों में छात्रावास के माध्यम से छात्रों को आवासीय सुविधा भी अनुमन्य □□□□ □□□□□

(2)- शासकीय मॉडल इण्टर कालेजों की स्थापना -

(1) शासन द्वारा चिन्हित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद में माडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिये जनपद के भीतर ऐसे क्षेत्र का चयन किया जायेगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम हो। यह योजना नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होगी। यथासंभव चयनित स्थल अल्पसंख्यक आबादी के मध्य में या बिल्कुल पास होगा।

(2) प्रत्येक चिन्हित जनपद में माडल इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक माडल इण्टर कालेज बालकों के लिए तथा एक माडल इण्टर कालेज बालिकाओं के लिए संचालित किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु वही क्षेत्र चयनित किया जायेगा जहां कोई शासकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था उपलब्ध नहीं है। यदि उस क्षेत्र में कोई बगैर मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था संचालित है, तो उसे स्थल चयन के समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(4) शैक्षणिक हब के अन्तर्गत स्थापित मॉडल इण्टर कालेज कक्षा-1 □□12तक के लिये होगा। संस्था में प्रवेश के समय उन छात्र/छात्राओं को वरीयता दी जायेगी, जो संस्था के 05 किलोमीटर के अन्दर निवास करते हैं ताकि स्थानीय छात्र/छात्रों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रवेश हेतु कोई परीक्षा आदि आयोजित नहीं की जायेगी।

(5) पश्चि□□□, मध्यांचल व पूर्वांचल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले में स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज जिनमें छात्रावास के रूप में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है, उनमें छात्र/छात्राओं को उनकी उच्च मेधा (High Merit) के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

http://sirsaanadesh.up.nic.in

(6) मॉडल इण्टर कालेज का पाठ्यक्रम तथा माध्य , बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं माध्यम के अनुरूप ही होगा। प्रत्येक मॉडल इण्टर कालेज में एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यकतानुसार विद्यालय में उर्दू शिक्षक की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) मॉडल इण्टर कालेजों में कौशल विकास योजना को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(8) मॉडल इण्टर कालेज में संचालित पाठ्यक्रम, प्रतियोगात्मक तैयारी के साथ-साथ इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में संचालित पाठ्यक्रमों एवं रोजगार परक शिक्षा दिये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी।

(9) मॉडल इण्टर कालेज में आई0ए0टी0 (Information and Communication Technology) सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

(10) विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा और कमजोर छात्रों के लिए ब्रिज कोर्सेज भी आवश्यकतानुसार संचालित किये जायेंगे।

(11) अच्छी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं से सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।

(12) शैक्षणिक हब में स्थापित होने वाले मॉडल इण्टर कालेज में शिक्षण का पाठ्यक्रम, शिक्षकों व स्टाफ आदि की व्यवस्था के साथ मॉडल इण्टर कालेज के संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग की होगी किन्तु अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की व्यवस्था अपने बजट में की जायेगी। मॉडल इण्टर कालेज का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत शासकीय प्रतिष्ठित एजेन्सी से कराया जायेगा। इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा जिसके लिये आवर्ती व्यय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया □□□ □□□□

(13) मॉडल इण्टर कालेज में पदों का सृजन बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मॉडल इण्टर कालेज हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा। इन शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा शारीरिक शिक्षा आदि के लिये शिक्षक मॉडल इण्टर कालेज के□ □□□□□□□ नियुक्त किये जा सकेंगे। बालिका मॉडल कालेजों में यथासम्भव प्रधानाचार्य एवं शिक्षक महिलायें होगी।

(14) मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु भूमि ग्राम समाज, सीलिंग, नगरीय सीमा □□ण की भूमि, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत अथवा किसी भी सरकारी विभाग की सरप्लस भूमि दी जा सकेगी। इसके लिये न्यूनतम 5000 वर्गमीटर भूमि आवश्यक होगी। उक्त श्रोतों से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने पर नगरीय क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा इंस्टीट्यूशनल दर पर विकास प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद से तथा ग्रामीण क्षेत्र में यथावश्यकता प्रचलित भूमि अध्यासि की दर से क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी। सर्वप्रथम उन्ही जनपदों में माडल इण्टर कालेजों की स्थापना की जाय जिन जनपदों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो।

(15) प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 तथा अन्य संबंधित अधिनियम/□□□/ शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। यदि ग्राम □□/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित भूमि के पुर्नग्रहण की आवश्यकता होती है, तो पुर्नग्रहण विषयक शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सीलिंग भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही ग्राम सभाओं/ स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकता निमित्त सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण संबंधित शासनादेश सं0-258/16(1)/73-राजस्व-1 दिनांक 09 □□, 1984 एवं मूल निर्धारण □□□□□ □□□□□□ □0-888/□□-1/2002-राजस्व-01 दिनांक 14 सितम्बर, 2004 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सरकारी भूमि का हस्तान्तरण के संबंध में "सरकारी सम्पति के प्रबन्ध से संबंधित (□□□□□) □□□□□□□-2003" के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) शैक्षणिक हब की स्थापना ऐसे स्थान पर की जायेगी, □हां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है और अधिक से अधिक छात्र/छात्रायें उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम -1995 (यथा संसोधित वक्फ अधिनियम-2013) की धारा-56में निम्नांकित व्यवस्था दी गयी है:-

Provided that a lease for any Period up to thirty years may be made for commercial activities, education or health purpose, with the approval of the State Government, for such period and purposes as may be specified in the rules made by the Central Government.

अतः अगर माडल स्कूल की स्थापना हेतु अल संख्यक बाहुल्य क्षेत्र में वक्फ की उपयुक्त रिक्त भूमि उपलब्ध है, तो विधिवत प्रक्रिया का पाल □□□□□□30 वर्ष की लीज पर भूमि प्राप्त कर शासकीय विद्यालय की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है। लीज की शर्तो के अनुसार भूमि का लीज रेन्ट शासन द्वारा वक्फ को दे□ □□□

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संसोधित वक्फ अधिनियम-2013) की धारा-56(3) में निम्नांकित व्यवस्था दी गयी है:-

The Board shall, in granting sanction for lease or renewal thereof under this section review the terms and conditions on which the lease is proposed to be granted or renewed and make its approval subject to the revision of such terms and condition in such manner as it may direct.

वक्फ अधिनियम के उपरोक्त उपधारा के अनुसार लीज की भूमि का नवीनकरण कराया जा सकता है।

(17) माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा माडल स्कूल का निर्माण कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में माडल स्कूल के निर्माण हेतु रू0 03.02 करोड़ के आगणन अनुमोदित हैं। निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि के स्वरूप माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुमोदित दरों में भविष्य में जो वृद्धि की जायेगी, वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये जा रहें मॉडल स्कूल के निर्माण पर भी प्रभावी होगी।

(18) प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज में वार्षिक सेमिनार की भी व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सफल विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा, जो अपने अनुभवों/तैयारी के बारे में भावी प्रतियोगी विद्यार्थी को बतायेगें। इससे प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज का वातावरण प्रतियोगात्मक एवं प्रेरक बनेगा। साथ ही सेमीनार में विषय विशेषज्ञों को भी बुलाने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे मॉडल इण्टर कालेज की शैक्षिक गुणवत्ता समय के साथ बनी रहें।

http://shadiabadesh.up.nic.in

(19) मॉडल इण्टर कालेज के विद्यार्थियों के बीच वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के तर्ज पर वार्षिक शैक्षिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमें निबन्ध, विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर, पर्यावरण एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित विषय वस्तु को शामिल किया जायेगा। ताकि मॉडल विद्यालय का सम्पूर्ण माहौल विद्यार्थियों को अपने ज्ञान की बृद्धि के लिए प्रेरित कर सकें।

(20) कुछ विशिष्ट स्थानों पर मॉडल इण्टर कालेज में महत्वपूर्ण प्रतियोगी प , □□-अखिल भारतीय सेवा /प्रादेशिक प्रशासनिक सेवायें/मेडिकल/इंजिनियरिंग/ □□/ □□□/ बैंकिंग/ चार्टर्ड/एकाउन्टेन्स/पालीटेक्निक आदि सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी। कोचिंग के लिए अच्छे टीचर प्रतिष्ठित कोचिंग प्रतिष्ठानों से या स्थानीय स्तर पर मौजूद ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के ख्याति प्राप्त संस्थानों से लिये जायेंगे।

(21) मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित अन्य शैक्षणिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय में छात्र/छात्राओं में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए अभिरूचि विकसित करें और उनके जनपद में स्थापित मॉडल इण्टर कालेज के कोचिंग सेंटर मे □□□छात्र/छात्राओं को कोचिंग हेतु प्रवेश दिलवायें। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को तभी प्राप्त हो सकेगा, जबकि शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। इस निमित्त इंजीनियरिंग/मेडिकल/ पालिटेक्निक/ बैंकिंग तथा □□□ आदि सेवाओं के लिए इण्टरमीडिएट पास अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु कोचिंग सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मॉडल इण्टर कालेजों के अन्तर्गत कोचिंग केन्द्रो की स्थापना के संबंध में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर को□□ केन्द्र स्थापित किये जायेगें। यह प्रयास किया जोयगा कि स्थापित होने वाला कोचिंग केन्द्र मॉडल इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अधीन ही □□□□□ □□

(22) योजनान्तर्गत स्थापित मॉडल इण्टर कालेज शिक्षा का एक उत्कृष्ट केन्द्र होग, अतः मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं तथा मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को मॉडल इण्टर कालेज में भ्रमण/शार्ट टाइम कोर्सेज/ब्रिज कोर्सेज के लिए लाया जायेगा। इससे उन संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी।

(23) जिलाधिकारी कोचिंग व्यवस्था के संचालन हेतु गठित समिति के पदेन चेयरमैन तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पदेन सचिव होगं कोचिंग के संचालन का मौलिक दायित्व मॉडल इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य का होगा।

(24) कोचिंग निःशुल्क होगी और छात्र/छात्राओं/प्रशिक्षकों पर होने वाले वास्तविक व्यय की पूर्ति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। निःशुल्क कोचिंग पर व्यय राजस्व पक्ष से वहन किया जायेगा। अतएव इसके लिए बजट लिंक कर नियमावली प्रख्यापित करा ली जायेगी। कोई भी छात्र/छात्रा एक कोर्स में अधिकतम दो बार ही कोचिंग के लिए पात्र होगा।

(25) □ॉ□ल इण्टर कालेज में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्थानीय उद्योगों तथा व्यवसायों में सेवायोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रधानाचार्य □ॉ□□ कालेज सदस्य तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य-सचिव होगें।

(26) इस समिति द्वारा उद्योगों के स्थानीय संगठनों तथा व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ समन्वय स्थापित कर मॉडल कालेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुसार उद्योगों/व्यवसायों में सेवायोजन दिलवाने का प्रयास किया जायेगा।

(27) विद्यालय स्थापित करने हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र उसे माना जा , जहा पर ग्राम, ग्राम समूह व वार्ड की जनसंख्या में से कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के हों। नवीन स्थापित होने वाले विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में है या नही, इसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) निजी क्षेत्र में माडल इण्टर कालेज की स्थापना/विस्तार-

ऐसे निजी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जिनके पास मजबूत आधार भूत संरचना के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, को भी शैक्षणिक हब के अन्तर्गत सम्मलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधा एक जनपद में एक विद्यालय के लिए होगी। परन्तु यदि किसी जनपद में भूमि प्राप्त न होने के कारण शासकीय विद्यालय की स्थापना नही हो पाती है तो उस जनपद में निजी क्षेत्र के माध्यम से दो विद्यालय खोलने पर विचार किया जायेगा। इसके लिए निम्नलिखित वरीयता क्रम रखने पर विचार किया जा सकता है:-

(1) ऐसी संस्था जो तीन वर्षो व उससे अधिक समय से माध्यमिव /उच्च शिक्षा का विद्यालय चला रही है एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में द्वारा निर्धारित शर्तो पर नया विद्यालय खोलना चाहती है, उसको यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) ऐसी संस्था जो तीन वर्षो व उससे अधिक समय से माध्यमिक/उच्च शिक्षा का विद्यालय चला रही है और उसी कैम्पस में उपलब्ध रिक्त भूमि पर विस्तार करना चाहती है उनको यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

(3) ऐसी संस्था जो तीन वर्षो से कम अवधि से कोई माध्यमिक/उच्च शिक्षा का विद्यालय चला रही है अथवा पूर्व से कोई माध्यमिक/उच्च शिक्षा का विद्यालय नही चला रही है एवं उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं तथा वह विद्यालय खोलना चाहती है तो उसको भी विस्तारीकरण/ विद्यालय खोलने हेतु सुविधा प्रदान की जायेगी।

(4) शैक्षणिक हब की स्थापना में अगर निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का चयन होता है तो ऐसी संस्थाओं के लिए जो भूमि, भ□□ आदि के मानक उच्च शिक्षा के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते है, उन□ □□□□ □□□□□□□□ □□□

(5) नवस्थापित अथवा विस्तार हेतु प्रस्तावित विद्यालय अल्पसंख्यक संस्था (Deemed Minority Status) सक्षम स्तर से घोषित हो जिससे कि न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्र/छात्रायें अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण पा सकें।

एक संस्था को उपरोक्त योजनान्तर्गत पूरे प्रदेश में एक ही विद्यालय की स्थापना/विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी।

(6) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाले विद्यालयों के लिए अर्हता, प्रक्रिया तथा देय अनावर्तक अनुदान के दिशा-निर्देश पृथक से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत किये जायेगें।

(7) निजी क्षेत्र के विद्यालयों की स्थापना हेतु मांग आने पर आवश्यकतानुसार गुण-दोष के आधार पर शासन आवर्तक अनुदान दे सकती है।

(4) □□□□ □□ क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

(1) अनुदान स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की समिति निर्माण कार्य का निरीक्षण व तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। उक्त की संस्तुति के आधार पर ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(2) विद्यालय के स्थापित होने के पश्चात् सम्बन्धित विद्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में संचालित किया जायेगा परन्तु जिलाधिकारी व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते हुए यह परीक्षण कर सकते है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार □□□ संचालित की जा रही है अथवा नहीं ।

(3) शासकीय अनुदान द्वारा विकसित नवीन विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के संचालन हेतु एक विद्यालय प्रवेश समिति का गठन होगा। यह प्रवेश □□□□ यह सुनिश्चित करायेगी कि नवीन स्थापित विद्यालय में प्रवेश परादर्शी तरीके से हो रहा है। शासकीय विद्यालय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रवेश के प्रयास किये जायेगं तथा निजी क्षेत्र के विद्यालय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओ का प्रवेश सुनिश्चित किया □□□□□

प्रवेश समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

i.	विद्यालय के प्रधानाचार्य	□□□□ □□□
ii.	जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा उनके	सदस्य
iii.	बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
iv	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

(5) स्थापित होने वाले शासकीय विद्यालयों को अनुदान 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपभोग तथा कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-□-11-1364/□□-2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्य-2589(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, □0प्र0 □□□□
2- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, □0प्र0 □□□□
3- □□□, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 □□□□
4- □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□
5- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □
6- □□□□□□□□, □0प्र0 □
7- समस्त जिलाविद्यालय, निरीक्षक, □0प्र0 □
8- समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 □

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in